

← Screenshot_2023-03-03...

334 KB

KAPALI NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संपत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 882485230323120721

Date : 23-03-2023

प्रभावी : पशुचं तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री NAHID SULTANA W/O Lt Sadique Hussain ,

मोहल्ला DAGODHI KAPALI KAPALI

Saralkela kharsawa , 831012

7004432679

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0160000545000A1 गार्ड सं- 16 हुआ है, आपके स्व- निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	151.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नही होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		151.00



सोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, KAPALI NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कडिका 11.4 के अन्तर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. धिदागत दो जमीन है कि, वर्षा जल संरक्षण संरक्षण लागू कर निम्न को सूचित करने तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाने।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैधानिक देय होगा।
5. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण सूचित कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिहायश दी जाएगी।
6. किसी देय सूचित कर निर्दिष्ट सम्पत्ति (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, जो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
7. गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जोष पत्र सम्पत्ति कर का सकारण बना सकती है एवं तब तक पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (File) एवं अंतर राशि देय होगा।
8. KAPALI NAGAR PARISHAD द्वारा संशुद्धित इस सम्पत्ति कर इन इमार्ग/दस्तावेजों को कोई कानूनी हस्तियात प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मामलों / दस्तावेज को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
9. अगर आपके नये हस्तियात नमों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विहित संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

To be signed by the Applicant